

शेजारवा लोक अदालत केम्प  
मुकदमा नम्बर  
वादी

इप्पोदी

अडालाव पुत्र इल्लाराफ

बनाम तहसीलदार किशनगढ रेनवाल (प्रतिवादी)

दावा दुरस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88,89

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादी की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का वाद निम्न प्रकार है :-

ग्राम पुनडुअ पटवार हल्का इप्पोदी तहसील वि.क.रेनवाल  
के आराजी खसरा नम्बर 1478/2

में वादी इप्पोदी नाम व विवरण सत्यमेव जयते  
सेवा पुत्र इल्ला

के स्थान पर

इल्लाराफ पुत्र रेकराफ

पर दुरस्त किया जावें।

उपरोक्त वाद के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दस्तावेजों के अवलोकन करने तथा रिपोर्ट पटवारी/भू.अ.नि./तहसीलदार की अभिशंसा के आधार पर एवं केम्प कोर्ट में मजमेंआम में जांच की जाने पर उक्त दुरस्ती से किसी सहखातेदार का हित प्रभावित नहीं होने से वादी का वाद डिकी किया जाना उचित है

ग्राम जैनपुर के आसानी रक. नं.  
1438 के सेवा पुत्र उल्लाहि 1/2  
जारी जार रक. उधे शेन बरहू  
जयपुर

ग्राम जैनपुर के आसानी रक. नं.  
1438 के दल्लारफ पुत्र केदाराम  
रि. 1/2 जारी जार रक. उधे शेन  
बरहू जयपुर

उपरोक्त डिकी अनुसार तहसीलदार

वि. रेणाल

को राजस्व रिकार्ड में अमल दरावद हेतू लिखा जावें।

14/5/18  
सहायक

सहायक कलेक्टर / उपखण्ड मजिस्ट्रेट,  
सांभर-लेक (जयपुर)